

कार्यालय-ज्ञाप

दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ को कुल 2460 प्रतिभागियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु स्टाफ कन्सलटेन्ट, ट्रेनिंग असिसटेन्ट कम डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, 03 दैनिक कर्मियों के लिए मानदेय, एवं 07 राज्य स्तरीय टी0ओ0टी0 तथा 75 जनपद स्तरीय प्रशिक्षण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य आपदा मोचक निधि के कैपिसिटी बिल्डिंग मद से राज्य कार्यकारणी समिति द्वारा संस्तुत धनराशि रू0 123.39 (एक करोड़ तेइस लाख उन्तालीस हजार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 61,70,000/- (रू0 इकसठ लाख सत्तर हजार मात्र) की स्वीकृति शासन के आदेश सं0-969/एक-10-2017-33(221)/2011, दिनांक 27.08.2018 द्वारा की गयी थी।

2- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के पत्र संख्या-340/64/(अप)/आ0प्र0प्रशि0/2018-19, दिनांक: 14.11.2018 द्वारा पंचायती राज विभाग के कार्मिकों एवं प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु कुल स्वीकृत धनराशि रू0 123.39/- (रू0 एक करोड़ तेइस लाख उन्तालीस हजार मात्र) के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू0 61.69 लाख आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ के अनुरोध के क्रम में कुल 2460 प्रतिभागियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु स्टाफ कन्सलटेन्ट, ट्रेनिंग असिसटेन्ट कम डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, 03 दैनिक कर्मियों के लिए मानदेय, एवं 07 राज्य स्तरीय टी0ओ0टी0 तथा 75 जनपद स्तरीय प्रशिक्षण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य आपदा मोचक निधि के कैपिसिटी बिल्डिंग मद से **अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 61,69,000/- (रू0 इकसठ लाख उनहत्तर हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये जाने वाले कार्य राहत आयुक्त संगठन/उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
3. इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
4. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2019 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2019 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
5. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

6. समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराई जायेगी तथा प्रतिभागियों के नाम/पदनाम, जिला/मोबाइल नं० आदि के साथ सम्पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

4- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेतर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।


(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

संख्या- 3299 / एक-10-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
- 3- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/राजस्व अनुभाग-6/11
- 8- परियोजना निदेशक, राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं श्री टी०पी० गुप्ता, परियोजना प्रबन्धक (राहत) का इस आशय से प्रेषित कि वे समय-समय पर निरीक्षण कर ट्रेनिंग सुचारु रूप से प्रचलित होने के संबंध में आख्या प्रस्तुत करेंगे।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।